

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/ भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
						पूर्व- पश्चिम- उत्तर- दक्षिण-
				योग		

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी संरक्षण) मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
मध्य प्रदेश शासन,वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/ भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-04 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
						पूर्व- पश्चिम- उत्तर- दक्षिण-
				योग		

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी संरक्षण) मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
मध्य प्रदेश शासन,वन विभाग